बिहार विधान सभा वादवृत्त

शुक्रवार तिथि २५ जुलाई, १९५२

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि २५ जुलाई, १९५२, को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

नरईपुर ग्राम पंचायत के मुखिया की गिरफ्तारी।

८९। श्री रामसुन्दर तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) चंपारण जिला के बगहा थाना के नरईपुर ग्राम पंचायत राज के मुखिया, चार पंच और चीफ ऑफिसर को बेतिया सबडिवीजन के बगहा थाना के पुलिस इन्सपेक्टर, पुलिस ऑफिसर तथा बेतिया के द्वितीय ऑफिसर श्री एम० पी० सिंह ने ता० २५ जून, १९५२ को बगहा सुगर मिल में उन लोगों को बुलाकर गिरफ्तार किया;

(ख) क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायत राज्य १९४७ की धारा ८३ के अनुसार ग्राम पंचायत राज के प्रत्येक सदस्य जनसेवक समझे जाते हैं;

(ग) क्या यह बात सही है कि खंड (ख) के अनुसार "जन-सेवक" की गिरफ्तारी बिना उच्च अधिकारियों की आज्ञा के नहीं की जा सकती है?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) यह बात सही है कि मुखिया, पंच और चीफ ऑफिसर, नारायणपुर ग्राम पंचायत २६ जून १९५२ को नॉर्थ बिहार फैक्ट्रीज, बगहा के मकान में गिरफ्तार हुए। बगहा पुलिस ने सेकेन्ड ऑफिसर, बेतिया के सामने उन्हें गिरफ्तार किया। जिस परिस्थिति में ये गिरफ्तार हुए वह नीचे बतायी गयी है। १२ जून १९५२ को एक मुकदमा १४७ एन्ड ३७९ आई० पी० सी० दफा में बगहा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि एक जमायत ने १०० आदमियों की एक अनलॉफुल एसेम्बली बनाकर एक मकान में धावा

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILLS.

विधान कार्य: सरकारी विधेयक:

छोटानागपुर रूरल पुलिस (एमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२

(१९५२ की वि० सं० २३)—क्रमश:

The Chota Nagpur Rural Police (Amendment) Bill, 1952. (Bill no. 23 of 1952)—*contd.*

श्री मुकुन्द राम तांती*—अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि छोटानापुर की ऐसी परिस्थिति है कि सब अधिकार डिप्टी कमिश्नर को नहीं दिया जा सकता है। वहाँ पर चौकीदार और तहसीलदार होते हैं जो वसूली का काम करते हैं। इन लोगों को इसके लिए कुछ जमीन भी मिलती है। इसमें कमिश्नर का सेन्कशन लेना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर पंचायत मुकर्रर कर सकता है लेकिन अगर वहाँ के लोग पंचायत के मेम्बरों का नाम दे दें तो डिप्टी कमिश्नर को मानना होगा। इसमें डिप्टी कमिश्नर को सब अधिकार दिया जाता है। हम चाहते हैं कि इसमें कमिश्नर्स का सेन्कशन होना चाहिये।

अध्यक्ष—इसमें तो "विद्‌आउट दि सेन्कशन ऑफ दि कमिश्नर्स" हटा दिया जाता है।

श्री मुकुन्द राम तांती—तो मैं कहता हूँ कि इसको नहीं हटाना चाहिये। इसको हटा देने से बहुत से इल्लिगल काम होंगे।

ऐसे भी आदमी हैं जो काम करते हैं और इसके बदले में उन्हें जमीन मिलती है। यदि उन्हें डिप्टी कमिश्नर हटा देते हैं तो उनका हक छिन जाता है......

अध्यक्ष—वे अपील में कमिश्नर के यहाँ जा सकते हैं।

श्री मुकुन्द राम तांती—ऐसा रहने से वे नहीं जा सकते हैं।

अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल सही है या गलत। मैंने कहा है कि जेनेरल पवार ऑफ सुपरविजन की बदौलत डिप्टी कमिश्नर के हुक्म से अगर कोई एग्रीभ्ड हो तो वह कमिश्नर के पास अपील में जा सकता है।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—जी हाँ, वह जा सकता है।

श्री मुकुन्द राम तांती—जैसी वहाँ की परिस्थिति है सब बातों को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर के हाथ में सब कुछ दे देना उचित नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ के लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा।

---

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी*—अध्यक्ष महोदय, कल राजस्व मंत्री ने कांग्रेस सरकार का क्या स्वरूप है उसका स्पष्ट भाव उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस सरकार का क्या स्वरूप है यह हमलोग चार वर्षों से मानभूम में देख रहे हैं। बिहार में सबको यह ख्याल था कि कांग्रेस सरकार ठीक कांग्रेस संस्था के आदेश पर चल रही है। लेकिन कल खुल्लमखुल्ला यह साबित हो गया और इसका एलान हो गया कि कांग्रेस सरकार के हाथ में पावर है, इसलिए वह जो कुछ करेगी अपनी खुशी के मुताबिक करेगी; विरोधी दल के लोगों को जो कहना हो कहें।

दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सरकार गांधी जी का नाम लेना नहीं चाहती है......

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। आज बिहार डिप्टी मिनिस्टर्स सेलरिज एन्ड एलाउएन्सेज बिल पर बहस नहीं है। कल जो हमने बात कही उसका जवाब माननीय सदस्य आज देंगे या आज जो हमने कहा है उसका जवाब देंगे ?

अध्यक्ष—बिहार डिप्टी मिनिस्टर्स सैलरिज एन्ड एलाउएन्सेज बिल कल पास हो गया। इस सम्बन्ध में मंत्री ने जो कुछ कहा है उसका जवाब आज आपको नहीं देना है।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—इसका जवाब देने की जरूरत इसलिए है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसको इस बिल से रेलिभेन्सी है।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। कोई रेलिभेन्सी नहीं है। जरूरत होने पर भी कल की बातों का जवाब आप नहीं दे सकते हैं। आज इस बिल के सम्बन्ध में जो उन्होंने कहा है उसका जवाब देने का आपको अधिकार है।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—उन्होंने हमारे अगेन्स्ट में दो चार्जेज खड़ा किया है। एक चार्ज यह है कि मैंने लड़कों को गलत सलत सिखलाया है। उन्होंने हमारे एजुकेशन पर एटेक किया है। हमारा एजुकेशन......................

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। आप यह बात पहले भी बोल चुके हैं। क्या आप मास्टर मशाय कहने से रंज होते हैं ?

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—रंज क्यों होंगे। आपको कोई अगर साधु कहता है तो आप रंज होते हैं ? "धोखाबाज" को "धोखाबाज" कहने से वह रंज होता है लेकिन "साधु" को "साधु" कहने से रंज नहीं हो सकता है।

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

खैर, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक शेर एक दीवाल के नीचे बैठा था और एक बकरी ऊपर बैठी थी। बकरी ने बाघ से उपहास किया। तब बाघ ने बकरी से कहा कि यह उपहास तुम नहीं कर रही हो बल्कि यह उपहास दीवाल कर रही है। उसी तरह से श्री कृष्णवल्लभ सहाय इस समय दीवाल के ऊपर बैठे हैं, जो कुछ चाहें बोल सकते हैं क्योंकि जो कुछ वे अभी करेंगे वह उन्हें शोभा देगा।

अध्यक्ष—हम सभी लोग शोभा के पात्र हैं।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—हम यह कह रहे थे कि उन्होंने हमारे एजुकेशन पर आक्षेप किया है। हम उन पर आक्षेप नहीं करके यह कहेंगे कि शिक्षा पर विशेष कर विदेशी शिक्षा पर इतना गौरव करना मुनासिब नहीं है।

[अवकाश]

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि एजुकेशन का काम मुझे छोड़े २५ वर्ष हो गये और सैकड़ों स्टूडेन्टस् जो मेरे पढ़ाये होंगे उनमें २, ३ दर्जन स्टूडेन्ट्स देश का काम कर रहे हैं। इनमें सब देश का काम प्रेम से कर रहे हैं और उनमें से एक भी देश द्रोही साबित नहीं हुआ। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ने पर किसी को प्यार करे और जरूरत खत्म हो जाने पर उसे फेंक कर दे।

अध्यक्ष—सफाई हो गयी। अब आप बिल पर बोलिये।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—इसके बाद पंचायत कायम करने की बात कही गयी है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—पंचायत की कोई बात नहीं कही गयी है।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—उसके बारे में यह कहा गया है कि मानभूमि में जो पंचायत हमलोगों ने कायम की है वह अपने मतलब को पूरा करने के लिए की है। आप को मालूम होना चाहिए कि वहां पर जो पंचायत कायम हुई थी वह श्री कृष्णवल्लभ सहाय की सहायता और डाइरेक्सन के मुताबिक हुई थी। वहां पर गांधी जी के आदर्श के मुताबिक पंचायत कायम हुई थी। जब यहां के गवर्नर श्री जयरामदास दौलत राम ने सुना तो उन्होंने मुझे अपने यहां बुलाया और देखने की इच्छा प्रकट की। वे हमारे साथ वहां गये और तीन दिन और तीन रात हमारे साथ रहे और खाना भी खाये। उन्होंने सर-प्राइज भी जिट दे कर गांव-गांव घूम कर पंचायत के काम को देखा।

अध्यक्ष—गवर्नर का नाम यहां पर नहीं लाना चाहिए।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—अच्छी बात है। हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट, कृपलानीजी उसे देखने के लिए वहाँ गये थे।

अध्यक्ष—क्या यह आत्मप्रशंसा के लिए कह रहे हैं?

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—वहाँ पर जो पंचायत बनाने का काम हुआ है, उसे अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि उस जिला और बिहार की प्रशंसा बढ़ाने के लिए कायम किया गया है। अगर आप हमें इस तरह से हेकल करेंगे तब हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? हमें एक तो हिन्दी बोलने की डिफीकल्टी है और उस पर से यह बात है। इसलिए हमें बोलने दीजिये।

अध्यक्ष—आप एक ऐसे विषय पर बोल रहे हैं जिस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—जब कृपलानीजी ने वहाँ के पंचायत के काम को देखा तब उसकी प्रशंसा गांधी मैदान में एक मीटिंग में उन्होंने की जहाँ ४० हजार से कम आदमी नहीं थे। हमारे सिंचाई मंत्री भी उसे देखने के लिए गये थे और खुश होकर एक टाइपराइटर ऑफिस के काम के लिए दिये। हमारे अर्थ मंत्री भी वहाँ पर गये थे।

अध्यक्ष—क्या राजस्व मंत्री कभी वहाँ नहीं गये थे?

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—राजस्व मंत्री कभी उसके लिए बहुत काम किये थे लेकिन आज वे उस जिले का एनिमी नं० १ हैं, इसीलिये उनके बारे में कुछ नहीं कहा है—छोड़ दिया है।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। अब आप बिल के ऊपर बोलिये।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्हीं तीन बातों पर विचार करके इस बिल को एक सिलेक्ट कमिटी में भेजा जाय।

अध्यक्ष—राजस्व मंत्री अब इस पर बोलें।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—हमें इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

मूल प्रश्न यह था कि दि छोटानागपुर रूरल पुलिस (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२ पर विचार हो उसके बाद यह संशोधन पेश हुआ कि उक्त विधेयक को इस निर्देश के साथ एक प्रवर समिति में सौंपा जाय कि वह समिति ३० जुलाई, १९५२ तक अपना प्रतिवेदन दे, तो प्रश्न है कि—

दि छोटानागपुर रूरल पुलिस (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२ इस निर्देश के साथ एक प्रवर समिति को सौंपा जाय ताकि वह समिति ३० जुलाई, १९५२ तक अपना प्रतिवेदन दे।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—अभी प्रश्न यह है कि:

दि छोटानागपुर रूरल पुलिस (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२ पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—Sir, I beg to move:

That in item (*ii*) of the proposed Proviso to Section 3 of the Act the word "male" occurring in line 3 be omitted.

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह आर्टिकल १५ ऑफ दि कॉन्सटीच्यूशन के खिलाफ होगा। इसलिए शब्द "मेल" को हटा दिया जाय।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—मैं इस संशोधन को मान लेता हूँ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

That in item (*ii*) of the proposed Proviso to Section 3 of the Act, the word "male" occurring in line 3 be omitted.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—Sir, I beg to move—

That in item (*ii*) of the proposed proviso to Section 3 of the Act, after the words "five persons," occurring in the 8th line of the said item the words "elected by the said two-thirds adults inhabitant of the village" be *inserted.*

मेरे कहने का मतलब यह है कि आफ्टर दि ट्रान्सफरेन्स ऑफ पावर इसको सेन्ट्रलाइज होना चाहिये और पंचायत के हाथ में पावर पूरा होना चाहिए। यही मेरा सुझाव है। २/५ आदमी को कमिश्नर चुनेगा और ३/५ इलेक्टेड बाई दि भिलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कमिश्नर का आदमी अपने मन के मुताबिक करेगा और पंचायत की बात नहीं सुनेगा। इसलिए मेरा कहना है कि ग्राम पंचायत के हाथ में पावर दे देना चाहिए और तहसील का काम भी ग्राम पंचायत के हाथ में दे देना चाहिए।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता हूँ। यह पंचायत जो बनेगा उसका काम होगा चौकीदारी टैक्स वसूल करना और उसको जमा

करना। इसलिए इस काम की जिम्मेवारी ऐसे आदमी को मिलना चाहिए जिसके पास पैसा हो। जो आदमी जमानत दे सके और सरकार का रुपया बरबाद न हो। अगर हम पंचायत के आदमी को वह काम देते हैं तो सरकारी रुपया बरबाद होने का डर है। इसलिए मैं इस अमेन्डमेंट को नहीं मानता हूँ। अलबत्ते जब बाजाप्ते तरीके से हर जगह ग्राम पंचायत बन जायगा तो यह काम ग्राम पंचायत के जिम्मे किया जायगा।

श्री श्रीश चन्द्र बनर्जी—अध्यक्ष महोदय, Item (*ii*) of the proposed proviso to section 3 of the Act में लिखा हुआ है कि "the Deputy Commissioner may, and, on the application of two-thirds of the adult inhabitants of any village, shall appoint"........ तो मैं कहता हूँ कि जब ऐक्ट में प्रोभिजन है तो डिपुटी कमिश्नर को मजबूर होकर लेना ही पड़ेगा। जब भिलेजर्स आदमी चुनेंगे तो सरकार को उस पर विश्वास करना ही होगा। जब भिलेज पंचायत से आदमी चुना जायगा तो उसका उत्तरदायित्व भी उन लोगों पर रहेगा कि ऐसा आदमी चुना जाय जो जिम्मेवार हो और सरकारी पैसा बर्बाद न करे। यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पंचायत का तहसीलदार नहीं नियुक्त हो।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—इस पर दोबारे उत्तर की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

That in item (*ii*) of the proposed proviso to Section 3 of the Act after the words "five persons" occurring in the 8th line of the said item the words "elected by two-thirds adults inhabitants of the village" be *inserted*.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री मंजूर अहमद—अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूँ कि—

The words "not" and "more than" occurring in the 1st line of item (*i*) of the proposed proviso to Section 3 of the Act be *deleted*.

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हो जायगा—

"There shall be one village police man for every seventy-five houses."

अगर यह संशोधन मंजूर किया जायगा तो हर ७५ घर पर एक विलेज पुलिसमैन रखना होगा। अभी जो प्रोभिजन है उससे बहुत अन्तर पड़ जाता है।

हम कहते हैं कि ७५ घर पर एक से ज्यादा नहीं होगा। इसका मानी है कि ७५ घर पर एक से कम भी हो सकता है।

There shall not be more than one village policeman for every seventy five houses."

इसका मानी है कि ७५ घर हैं तो उसमें एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, यह हो सकता है कि एक से कम हो। मान लीजिए ३०० घर हैं तो ४ होना चाहिए; हम रख सकते हैं दो ही।

अध्यक्ष—१०० घर हो तो क्या होगा।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—अभी तो हमलोग ७५ घर पर ही विचार कर रहे हैं। तो ३०० घर अगर हैं तो ४ रह सकते हैं लेकिन हमारे अमेन्डमेंट के मुताबिक हम दो ही से काम चला सकते हैं। इसलिये उनके अमेन्डमेंट से टैक्स-पेयर पर ज्यादा बोझ पड़ेगा।

श्री मंजूर अहमद—हमारा कहना यह है कि मिनिमम क्या रखा है ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—मिनिमम तो अभी रखा ही नहीं है।

श्री मंजूर अहमद—मैं अपने अमेन्डमेंट को वापस लेना चाहता हूँ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

श्री मंजूर अहमद—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

बिल के clause 3 के item (*ii*) में शब्द "in place of the unit-tahsildar" हटा दिये जाय।

इन शब्दों की जरूरत नहीं मालूम पड़ती क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब एडल्ट मेल इनहेबिटेन्टस् २/३ अगर एप्लिकेशन करें, तो पंचायत मुकर्रर करेंगे ही। नीचे तो दिया हुआ है ही—"and such panchayat shall, as far as such village is concerned, perform the duties of a Unit-tahsildar under this Act." इसलिए उन लफ्जों की जरूरत नहीं रह जाती और मेरा संशोधन मान लिया जाय।

अध्यक्ष—इसका मानी है कि यूनिट-तहसिलदार को आपने नहीं हटाया और एक पंचायत भी होगी जो यूनिट-तहसिलदार का काम करेगी।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—हुजूर ने तो दलील दे ही दी कि उनका अमेन्डमेंट क्यों नहीं माना जाय। यूनिट तहसीदार और पंचायत दोनों के रहने से कनफ्युजन होगा। लॉ में कनफ्युजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए वह अपना संशोधन हटा लें तो अच्छा होगा।

श्री मंजूर अहमद—मैं अपना संशोधन वापस ले लेना चाहता हूँ।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापस हो गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

खंड २, सभा द्वारा यथा-संशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

"नाम" इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"नाम" विधेयक का अंग बना।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

छोटानागपुर रूरल पुलिस (अमेन्डमेंट) बिल, १९५२, सभा द्वारा यथा-संशोधित, स्वीकृत हो।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—अध्यक्ष महोदय, मैंने दिखलाया कि मानभूमि के जन साधारण के एडल्ट फ्रेन्चायज पर कैसी पंचायत बनी; और अब मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि

गवर्नमेंट की तरफ से आज जो पंचायत हो रही है उसका नमूना क्या होगा। गवर्नमेंट मानभूमि में आज जिस किस्म की पंचायत स्थापित कर रही है उसको मैं बतलाना चाहता हूँ।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—On a point of order, Sir, the Panchayat which is formed under the Gram Panchayat Raj Act is not under discussion. The Panchayat under the Rural Police Bill is to be nominated by the Deputy Commissioner for the purpose of collecting chowkidari tax and it will be replaced by the chowkidari tahsildar whereas the Panchayat formed under the Gram Panchayat Act will perform so many judicial and welfare functions.

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—सरकार इसको नहीं स्वीकार करती है क्योंकि सरकार यह नहीं चाहती है कि मानभूम में पंचायत के द्वारा काम किया जाए।

अध्यक्ष—यह आरगूमेंट अभी असंगत है।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—हमने यह कहा था कि जब तक ट्राइब्स एडवायजारी कौन्सिल नहीं बनाया जाय तब तक यह कानून नहीं बना सकते हैं। इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में इस प्वायन्ट पर प्रकाश डाला था।

श्री जुनस सुरीन*—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि यह एक अमेन्डिंग बिल है। इसलि इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अभी जो कानून छोटानागपुर में लागू होता है वह टाइम इम्मेमोरियल से चला आ रहा है। किसी कानून में संशोधन करने की तब आवश्यकता पड़ती है जब वह कानून स्मूथली नहीं चलता है। मैं देख रहा हूँ कि यह कानून कितने जमाने से सुचारु रूप से छोटानागपुर में चल रहा है, फिर इसको अमेन्ड करने की क्या आवश्यकता है। यदि आप इस बिल को पास करते हैं तो आप छोटानागपुर के रूरल एडमिनिस्ट्रेटिभ सेट-अप को डिस्टर्ब कर देंगे। छोटानागपुर के हर गांव में एक मुन्डा पहाड़िया राजा होता है और जो लोकल केसेज होते हैं वे सब वहीं फैसला कर दिये जाते हैं लेकिन आप उसे रोक देंगे।

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

श्री भोलानाथ दास*—अध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी पास हो रहा है उसका नतीजा यह होगा कि पहले जो चौकीदारी तहसीलदार लोग रहते थे उनके बदले में अब पंचायत रहेगी और अब टक्स अच्छी तरह वसूल होगा और उतना ही लिया जायेगा जितना जरूरी है।

पहले तो तहसीलदार लोग टैक्स घटा देते थे या बढ़ा देते थे। इस तरह से करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था और उसको रोकने के लिए यह अमेन्डिग बिल लाया गया है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आज कल लोग चाहते हैं कि पावर डीसेन्ट्रलाइज्ड हो। तो इस अमेन्डमेंट से डीसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जायगा—पंचायत के हाथ में यह पावर जायगा और टू-थर्ड लोगों की जो राय होगी वही होगी। हम समझते हैं कि इस अमेन्डमेंट से देहात के लोगों को फायदा होगा।

तीसरी बात यह है कि बहुत से माननीय सदस्य इसके खिलाफ बोले हैं। उनका कहना यह है कि ब्रिटिश जमाने में जो कानून बना था वह ठीक है और उसको अमेन्ड करने की जरूरत नहीं है। दर असल में बात यह है कि राँची जिले में चौकीदार और तहसीलदार लोग, पढ़े-लिखे और राजनैतिक चेतना जिनमें है उनके साथ कुछ भी जुल्म नहीं करते हैं। मगर जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो संघटित नहीं है ऐसे आदमी पर अत्याचार करते हैं। २५ वर्षों से कायदा यही है कि यदि संघटित और पढ़े-लिखे लोगों पर तहसीलदार ने ऊँगली उठायी तो गवर्नर और डी० सी० के पास पत्र लिखकर उसे हटा देते हैं। नतीजा यह होता है कि जो कानून है उससे ९५ पर सेन्ट को नुकसान होता है और ५ पर सेन्ट को फायदा होता है। जो आदिवासी लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं उन्हीं को नुकसान होता है। इसलिए इसका अमेन्डमेंट होना चाहिए। पंचायत में यह काम जाना चाहिए।

इसके बाद हम मास्टर साहब की बातों का जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ट्राइब्स एडभाइजरी कौंसिल की सलाह बिना यह कानून नहीं बनाया जा सकता है।

अध्यक्ष—इसको आप न कहें। यह चीज खत्म हो गई है।

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

श्री भोलानाथ दास—हम देखते हैं इस सदन में जब-जब छोटानागपुर की बात आती है उस समय मानभूम की बात उठायी जाती है और ऐसी-ऐसी बात यहां सुनने में आती है जिसकी सत्यता बाहर में नहीं देखने को मिलता है। हम तो मानभूम के बोर्डर में रहते हैं मगर ऐसी बात नहीं देखने को आती है। यदि वहां के पंचायत को यह काम दिया जाय तो आपको तो उसे स्वागत करना चाहिए। मगर वे तो अपोजिशन को फोर ओपोजिशन्स सेक, यानी सत्तू बांधकर ओपोज करने लग जाते हैं। उनको बोलने का काफी मौका भी मिलता है और "मुक्ति" समाचार पत्र में अपना प्रचार कराने के लिये बहुत सी बातें......

अध्यक्ष—आप इस तरह का आक्षेप न करें। आपका यह कहना ठीक नहीं है कि "मुक्ति" समाचार पत्र में प्रचार कराने के लिए वे यहां बोलते हैं। सभी माननीय सदस्य जो कुछ बोलते हैं वह किसी न किसी रूप में अखबार में निकलता ही है। उस पर इस तरह का आक्षेप करना अनुचित है।

श्री भोलानाथ दास—मेरे कहने का मतलब यह है कि यह अमेन्डमेंट बहुत अच्छा है और श्रीशचन्द्र बनर्जी को इसका स्वागत करना चाहिए। देहात के पंचायत के हाथ में इस तरह के कलेक्शन का काम रहे तो देहात के लोगों को सुविधा होगी। इसलिए हम इस अमेन्डमेंट का समर्थन करते हैं।

श्री इगनेस कुजूर*—अध्यक्ष महोदय, हम इस अमेन्डमेंट का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ओपोजिशन फोर ओपोजिशन्स सेक होता है।

अध्यक्ष—वह तो श्रीश बाबू के बारे में उन्होंने कहा था, जुनस सुरीन के बारे में नहीं कहा था।

श्री इगनेस कुजूर—हम समझते हैं कि बिल जितना भी छोटा क्यों न हो उसका ओपोजिशन होना चाहिए।

अध्यक्ष—ऐसा तो कोई नियम नहीं है।

श्री इगनेस कुजूर—ऐसा भी तो कोई नियम नहीं है कि ओपोजिशन न हो।

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

हमलोगों ने देखा है कि जो-जो कानून इस स्टेट ने लागू किया है वह ठीक से यूज नहीं किया जाता है। अभी आपने पंचायत के बारे में बहुत सी बातें कही हैं, और वह बिलकुल सही है मगर असल में बात क्या है उस पर गौर करें। गाँव में जिन लोगों को लेकर पंचायत बनाया जाता है वे सरकारी अधिकारियों के लोग होते हैं और चुनाव कागजी होता है। इसका बहुत अनुभव मुझे है। जो लोग सरकारी अधिकारी की खुशामद में रहते हैं और उनके विचार पर चलते हैं वही पंचायत में आ जाते हैं। कल ही माननीय मंत्री ने कहा था कि अपने पार्टी की उद्देश्य को......

अध्यक्ष—आप भी तो अपनी पार्टी की बात लाते हैं। यहाँ तो गाँव की बात है। अगर गाँव में दो पार्टी है तो......

श्री इगनेस कुजूर—गाँव में तो दो पार्टिज हो जाती हैं। डिप्टी कमिश्नर को पंचायत कायम करने का अधिकार है और इसमें कमिश्नर के सैन्कशन की भी जरूरत नहीं है। मगर एक डिप्टी कमिश्नर को एक जगह बहुत दिनों तक रह जाने पर भी उनकी बदली नहीं होती है।

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री इगनेस कुजूर—हमारी सरकार की यह नीति है जिससे उनकी बदली नहीं होती है।

अध्यक्ष—क्या बदली होने पर इस बिल को कबूल कर लेंगे? डिपुटी कमिश्नर की बदली नहीं होती है यह असंगत बात है। जितनी बातें हैं सभी इस बिल के वाद विवाद में कह दी जायँ, ऐसी बात नहीं है। जो संगत हो उसी को कहना चाहिए।

श्री इगनेस कुजूर—तो मैं इतना ही कहकर इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत ही मामूली बिल है परन्तु हमारे दोस्त कुजूर साहब और श्रीश बाबू इसमें राजनीति की बात देखते हैं। वे समझते

हैं पंचायत चूंकि डिपुटी कमिश्नर बनायेंगे इसलिये हम उसे अपने मन के मुताबिक बनायेंगे और अपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मगर हमारे दोस्त इस बात को भूल जाते हैं कि इस सेक्शन में कोई कारंवाई नहीं हो सकती है जबतक किसी बस्ती के २/३ आदमी जिसमें श्रीश बाबू की कृपा से औरतें भी शामिल हो गयीं हैं दरखास्त नहीं देंगे डिपुटी कमिश्नर के पास कि हमलोग तहसीलदार नहीं चाहते हैं और हमलोग चाहते हैं कि पंचायत कायम कर दिया जाय। इसलिये यह समझना कि गवर्नमेंट कोई चीज आप पर लादने जा रही है, आपकी सुविधा भंग करने जा रही है, आपकी पंचायत तोड़ने जा रही है या कोई राजनैतिक मतलब साधन करने जा रही है, यह आरोप बिलकुल गलत है। अगर श्री कुजूर साहब का रांची में प्रभाव है और श्री श्रीश बाबू का पुरुलिया में प्रभाव है तो लोगों को मना कर दें कि वे दरखास्त नहीं दें। दरखास्त नहीं देने से कोई कारंवाई नहीं होगी। जब तक बस्ती के २/३ लोग दरखास्त नहीं देंगे तब तक कोई कारंवाई नहीं होगी। पंचायत में कहीं ३ आदमी की कमिटी होगी, कहीं ५ आदमी की कमिटी होगी। उसके जिम्मे टैक्स वसूल करने का काम, मुकदमा के फैसला करने का काम, और जंगलों की चीजों को बांटने का काम रहेगा। उसके जिम्मे टैक्स वसूल करने का बहुत लिमिटेड काम रहेगा। यूनिट तहसीलदार अलबत्ता एसेसमेंट तैयार करता है, लेकिन उसको डिपुटी कमिश्नर मंजूर करते हैं। अगर डिपुटी कमिश्नर उसको मंजूर नहीं करेंगे तो एसेसमेंट नहीं होगा। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है, इस बिल को हाउस को पास कर देना चाहिये।

श्री अन्नदा प्रसाद चक्रवर्ती—जो पंचायत डिपुटी कमिश्नर मनोनीत करेगा वह चौकीदारी वसूलने का काम करेगी या जो पंचायत इस ऐक्ट के मुताबिक कायम होगी वह चौकीदारी वसूल करेगी ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—जहां पर गवर्नमेंट तय करेगी कि चौकीदारी वसूल करने का काम ग्राम पंचायत ऐक्ट के मुताबिक जो पंचायत बनेगी उसको दिया जाय तो वहां पर यह ऐक्ट लागू नहीं होगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

छोटानागपुर रूरल पुलिस (अमेंडमेंट) बिल १९५२, इस सभा द्वारा यथा-संशोधित स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।